



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244480
CG-DL-E-18032023-244480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1208]
No. 1208]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1257(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 5205(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 2022, के साथ पठित का.आ. 393(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2023, द्वारा बारह महीने की अवधि के लिए, मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को, इक्तीस अधिक आयामी खेपों को, धुरियों के युग्मन द्वारा, माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स पर अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार के साथ, मुंद्रा पोर्ट / कांडला पोर्ट, गुजरात से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, अनुमोदन प्रदान किया था।

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
48	एमएच-04ईवाई-7788	वोल्वो-520
49	एमएच-04-ईबी-8888	वोल्वो-520
50	जीजे-12बीजेड-1999	वोल्वो-520

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
51	एचआर-55पी-7777	वोल्वो-520
52	जीजे-27टीटी-1609	वोल्वो -400
53	एमएच-46एच-3651	वोल्वो -400
54	एमएच-06एक्यू-6170	वोल्वो-520
55	एनएल-01एए-0868	वोल्वो -400
56	जीजे-06बीटी-8001	वोल्वो-520
57	जीजे-06बीवी-9081	वोल्वो-520
58	एनएल-02के-3061	वोल्वो -400
59	केए-01एम-2664	वोल्वो-460
60	एमएच-06एक्यू-9199	वोल्वो-490
61	केए-01एम-2664	वोल्वो-460
62	एमएच-46एच-1941	वोल्वो-300
63	जीजे-06बीटी-2184	वोल्वो-460

3. उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, क्रम संख्या 199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
200	डीडी-01एल-9276	केएएमएजी	6	108
201	डीडी-01एल-9085	केएएमएजी	6	108
202	डीडी-01एल-9048	केएएमएजी	6	108
203	डीडी-01एल-9784	केएएमएजी	6	108
204	डीडी-01एल-9092	केएएमएजी	6	108
205	डीडी-01एल-9636	केएएमएजी	6	108
206	डीडी-01एल-9452	केएएमएजी	6	108
207	डीडी-01एम-9065	केएएमएजी	6	108
208	एचआर-55एबी-0038	टीआईआई	4	72
209	एचआर-55एसी-0038	टीआईआई	4	72
210	एचआर-55एडी-0038	टीआईआई	4	72
211	एचआर-55आई-0038	टीआईआई	6	108
212	एमएच-46बीयू-1770	टीआईआई	8	208

213	जीजे-27टीडी-2377	टीआईआई	4	104
214	एमएच-46बीएम-0170	गोल्डहोफर	6	156
215	एमएच-46बीएम-0171	गोल्डहोफर	6	156
216	एमएच-46बीएम-0172	गोल्डहोफर	3	78
217	एमएच-46बीएम-0173	गोल्डहोफर	3	78
218	एमएच-46बीएम-0175	गोल्डहोफर	4	104
219	एमएच-46यू-6396	गोल्डहोफर	6	156
220	एमएच-46एच-2391	गोल्डहोफर	3	78
221	एमएच-43यू-6391	गोल्डहोफर	3	78
222	एमएच-43यू-6392	गोल्डहोफर	3	78
223	एमएच-43यू-6395	गोल्डहोफर	5	130
224	जीजे-06बीटी-9250	टीआईआई	6	108
225	जीजे-06बीटी-9485	टीआईआई	4	72
226	एचआर-38एए-4554	टीआईआई	6	108
227	एचआर-38एए-9637	टीआईआई	6	108
228	एचआर-38एए-9995	टीआईआई	6	108
229	एचआर-38एडी-6561	टीआईआई	6	108
230	एचआर-55एजी-2189	टीआईआई	6	108
231	एचआर-55एजी-4210	टीआईआई	6	108
232	एचआर-38ईई-6339	टीआईआई	4	72
233	एचआर-38ईई-6399	टीआईआई	4	72
234	एचआर-38एडी-7751	टीआईआई	6	108
235	एचआर-55एएम- 5567	बीएमटी	4	72
236	एचआर-55एएल-2482	बीएमटी	4	72

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notification No. S.O. 5205(E), dated 7th November, 2022, read with S.O. 393(E) dated 24th January 2023, had accorded approval to M/s PRISM logistics Private Limited for transportation of thirty one over dimensional consignments on Modular Hydraulic Trailers, from Mundra Port / Kandla Port, Gujarat to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road for the period of twelve months, by coupling of axles, with maximum safe laden weight/Gross vehicles Weight and dimensions.

2. In the said notification, in para 2, after serial No. 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
48	MH-04EY-7788	Volvo-520
49	MH-04-EB-8888	Volvo-520
50	GJ-12BZ-1999	Volvo-520
51	HR-55P-7777	Volvo-520
52	GJ-27TT-1609	Volvo-400
53	MH-46H-3651	Volvo-400
54	MH-06AQ-6170	Volvo-520
55	NL-01AA-0868	Volvo-440
56	GJ-06BT-8001	Volvo-520
57	GJ-06BV-9081	Volvo-520
58	NL-02K-3061	Volvo-400
59	KA-01AM-2664	Volvo-460
60	MH-06AQ-9199	Volvo-490
61	KA-01AM-2664	Volvo-460
62	MH-46H-1941	Volvo-300
63	GJ-06BT-2184	Volvo-460

3. In the said notification, in para 3, after serial No. 199 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
200	DD-01L-9276	KAMAG	6	108
201	DD-01L-9085	KAMAG	6	108
202	DD-01L-9048	KAMAG	6	108
203	DD-01L-9784	KAMAG	6	108
204	DD-01L-9092	KAMAG	6	108
205	DD-01L-9636	KAMAG	6	108
206	DD-01L-9452	KAMAG	6	108
207	DD-01M-9065	KAMAG	6	108
208	HR-55AB-0038	TII	4	72
209	HR-55AC-0038	TII	4	72
210	HR-55AD-0038	TII	4	72
211	HR-55AE-0038	TII	6	108
212	MH-46BU-1770	TII	8	208
213	GJ-27TD-2377	TII	4	104
214	MH-46BM-0170	Goldhofer	6	156
215	MH-46BM-0171	Goldhofer	6	156
216	MH-46BM-0172	Goldhofer	3	78
217	MH-46BM-0173	Goldhofer	3	78
218	MH-46BM-0175	Goldhofer	4	104
219	MH-46U-6396	Goldhofer	6	156

220	MH-46H-2391	Goldhofer	3	78
221	MH-43U-6391	Goldhofer	3	78
222	MH-43U-6392	Goldhofer	3	78
223	MH-43U-6395	Goldhofer	5	130
224	GJ-06BT-9250	TII	6	108
225	GJ-06BT-9485	TII	4	72
226	HR-38AA-4554	TII	6	108
227	HR-38AA-9637	TII	6	108
228	HR-38AA-9995	TII	6	108
229	HR-38AD-6561	TII	6	108
230	HR-55AG-2189	TII	6	108
231	HR-55AG-4210	TII	6	108
232	HR-38AE-6339	TII	4	72
233	HR-38AE-6399	TII	4	72
234	HR-38AD-7751	TII	6	108
235	HR-55AM-5567	VMT	4	72
236	HR-55AL-2482	VMT	4	72

[F. No RT-11042/04/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.